रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2017/पौष 27, 1938
No. 32] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2017/PAUSA 27, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 37(अ).—वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किए जाते हैं और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, से तीस दिन की समाप्ति पर विचार किया जाएगा ;

और जबकि ऐसे किसी आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी ऐसे व्यक्ति से, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पहले प्राप्त किए जाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

और जबकि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई सुझाव या आक्षेप करने का इच्छुक कोई व्यक्ति उन्हें इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए स), ए विंग, पहली- तीसरी मंजिल जनपथ भवन, जनपथ,, नई दिल्ली-110001 को भेज सकेगा । [ईमेल: ddpol.bcas@nic.in]

प्रारूप विनियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (सुरक्षा) संशोधन नियम, 2017 है—

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 में,--

(i) नियम 26 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"26. स्टाफ की तैनाती—कोई वायुयान प्रचालक केवल उन्हीं कार्मिकों को सुरक्षा कर्तव्यों के लिए नियुक्त करेगा जो उसके पूर्णकालिक कर्मचारी हैं या जो किसी अन्य अंतर्देशीय एयरलाइनों के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों, जिनके साथ ऐसे वायुयान प्रचालक ने सुरक्षा सेवा की संविदा की है, जिनका चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जा चुका है और जो जिन्हें राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार उचित प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और प्रमाणन के पश्चात् नियोजित किया गया है ।";

(ii) नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"27. वायुयान की सुरक्षा तलाशी:-- कोई वायुयान प्रचालक अपने वायुयान या किसी अन्य अंतर्देशीय एयरलाइनों के ऐसे वायुयान, जिसके साथ ऐसे वायुयान प्रचालक ने सुरक्षा सेवा के लिए संविदा की है, की तलाशी करेगा

(क) सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में ले जाने से पहले; और

(ख) अवरोहण के पश्चात् यात्रियों के प्रवेश कराने से पहले ।";

(iii) नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"28. वायुयान में पहुंच नियंत्रण:--

(1) वायुयान प्रचालक या कोई अन्य अंतर्देशीय एयरलाइन जो ऐसे वायुयान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा की संविदा रखता है, वायुयान में पहुंच को नियंत्रण करेगा और प्रस्थान के लिए सुरक्षा जांच से निगरानी बनाए रखेगा ।

(2) वायुयान प्रचालक या ऐसी कोई अन्य अंतर्देशीय एयरलाइन जो ऐसे वायुयान के लिए सुरक्षा सेवा की संविदा रखता है,--

(i) केबिन का दरवाजा बंद करके;

(ii) एयरोब्रृजिज और अधर सीढ़ियों को सुरक्षित करके, वापस लाकर या पीछे करके; और

(iii) स्पष्ट सीलबंद द्वार के साथ छेड़छाड़ करके,

गैर प्रचालित वायुयान पर नियंत्रण रखेगा ।";

(iv) नियम 31 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"31. धारित यात्री सामान का सुरक्षा नियंत्रण:--वायुयान प्रचालक या वायुयान क्षेत्र प्रचालक या कोई अन्य अंतर्देशनीय एयरलाइन जो ऐसे वायुयान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा की संविदा रखता है धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग और सुरक्षा ऐसी रीति में करेंगे जो समय-समय पर महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए स) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।";

(v) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"32. धारित सामान की पहचान और पुनर्मिलाप:-- वायुयान प्रचालक या कोई अन्य अंतर्देशनीय एयरलाइन जो ऐसे वायुयान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा की संविदा रखता है धारित सामान की पहचान और पुनर्मिलाप ऐसी रीति में करेगा जो समय-समय पर महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए स) द्वारा लिखित में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।";

(vi) नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"33. अंतरित यात्री सामान:-- वायुयान प्रचालक या कोई अन्य अंतर्देशनीय एयरलाइन जो ऐसे वायुयान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा की संविदा रखता है अंतरित धारित यात्री सामान को वायुयान में लाए जाने से पहले स्क्रीनिंग करेगा :

परंतु उद्भव के बिन्दु पर स्क्रीन किया गया धारित यात्री सामान और उद्भव वायुयान प्रचालन क्षेत्र से अंतरित वायुयान क्षेत्र में प्रस्थान करने वाले वायुयान तक पश्चात्वर्ती संरक्षित प्ररूप अप्राधिकृत हस्तक्षेप स्क्रीनिंग के अध्यधीन नहीं होगा ।" ;

(vi) नियम 39 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"39. साथ ले जाए गए कुरियर थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप:-- साथ ले जाए गए कुरियर थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप ऐसे वायुयान प्रचालक या किसी ऐसे अन्य अंतर्देशीय एयरलाइन जो ऐसे वायुयान प्रचालक के लिए सुरक्षा सेवा की संविदा रखता है, द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी जो समय-समय पर महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए स) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।"।

[फा. सं. एवी. 11021/3/2015-एएस]

सुयश नारायण, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 34(अ) तारीख 19 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2017

G.S.R. 37(E). —Whereas, the following draft of certain rules to amend the Aircraft (Security) Rules, 2011 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) is hereby published as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the Gazette of India in which this notification is published, is made available to the public;

And whereas, any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period, shall be considered by the Central Government;

And whereas, any person desirous of making any suggestions or objections with respect to the said draft rules may forward the same, within the period so specified, to the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS), A-wing, 1st – 3rd Floors, Janpath Bhawan, Janpath, New Delhi-110001 [email: ddpol.bcas@nic.in].

DRAFT RULES

1. (1) These Rules may be called the Aircraft (Security) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Security) Rules, 2011,-

(i) for rule 26, the following rule shall be substituted, namely:-

"26. Deployment of staff. – An aircraft operator shall engage only those personnel for security duties, who are his whole-time employees or the whole-time employees of any other domestic airlines with whom such aircraft operator has entered into a contract for security service, whose character and antecedents have been verified and who are employed after proper training, selection procedure and certification in accordance with national civil aviation security programme.";

(ii) for rule 27, the following rule shall be substituted, namely:-

"27. Security search of aircraft. – An aircraft operator shall carry out the search of his aircraft or aircraft of any other domestic airlines with whom such aircraft operator has entered into a contract for security service

(a) before taking it to security restricted area; and

(b) before boarding of passengers after disembarkation.";

(iii) for rule 28, the following rule shall be substituted, namely:-

"28. Access control to aircraft. –

(1) The aircraft operator or any other domestic airlines having contract for security service for such aircraft operator shall control access to aircraft and maintain surveillance from the security check to the departure.

(2) The aircraft operator or any other domestic airlines having contract for security service for such aircraft operator shall control the non-operational aircraft by keeping,-

(i) cabin doors closed;

(ii) aerobridges and ventral stairs secured, withdrawn or retracted ; and

(iii) tamper evident sealed doors.";

(iv) for rule 31, the following rule shall be substituted, namely:-

"31. Security control for hold baggage. – The aircraft operator or the aerodrome operator or any other domestic airlines having contract for security service for such aircraft operator shall screen and protect the hold baggage in such a manner as may be specified by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) from time to time.";

(v) for rule 32, the following rule shall be substituted, namely:-

"32. Identification and reconciliation of hold baggage. – An aircraft operator or any other domestic airlines having contract for security service for such aircraft operator shall carry out the identification and reconciliation of hold baggage in such manner as may be specified by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) by an order in writing from time to time.";

(vi) for rule 33, the following rule shall be substituted, namely:-

"33. Transfer baggage. – The aircraft operator or any other domestic airlines having contract for security service for such aircraft operator shall screen the transfer hold baggage before loading into an aircraft:

Provided that the hold baggage screened at the point of origin and subsequently protected from unauthorised interference from the originating aerodrome to the departing aircraft at the transfer aerodrome shall not be subject to screening.";

(vii) for rule 39, the following rule shall be substituted, namely:-

"39. Identification or reconciliation of accompanied courier bags.–The identification or reconciliation of accompanied courier bag shall be made by the aircraft operator or any other domestic airlines having contract for security service for such aircraft operator in such manner as may be specified by the Director General, Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) from time to time.".

[F. No. AV. 11021/3/2015-AS]

SUYASH NARAIN, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 34(E), dated the 19th January, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.18 19:29:08 +05'30'